यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता (पीएमजीएसवाई) सिंचाई खंड लोहाघाट, चंपावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालयअधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड) लोहाघाट के माह 07/ 2013 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तवसहायक, लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरिष्ठ, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25-10-2018 से 01-11-2018 तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण (25.10.2018 से 28.10.2018) मे संपादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा मुख्यतः ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। इस इकाई के अंतर्गत दो ब्लाक बारकोट एवं पाटी के क्षेत्र आते है।

   इकाई द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं कोषागार द्वारा प्रदत्त धनराशि से सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)₹	बचत (-) ₹
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹		
2015-16	----	54.13	114.93	106.93	1085.11	666.32	---	480.92
2016-17	-----	42.83	124.92	99.38	1644.19	1414.76	----	----
2017-18	------	----	119.23	112.95	2334.50	2096.57	----	----

नोटः- वर्ष 2015-16 मे रु. 438.09 लाख, 2016-17 मे रु. 373.04 लाख, 2017-18 मे रु. 244.21 लाख का समर्पण किया गया।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त ₹	व्यय (+) ₹	बचत (-) ₹
2015-16	प्रोग्राम निधि	1037.49	608.05	429.44
2016-17	प्रोग्राम निधि	1574.75	1353.99	220.76
2017-18	प्रोग्राम निधि	2236.16	2007.09	229.07

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) यूआरआरडीए द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है। इकाई श्रेणी ब के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

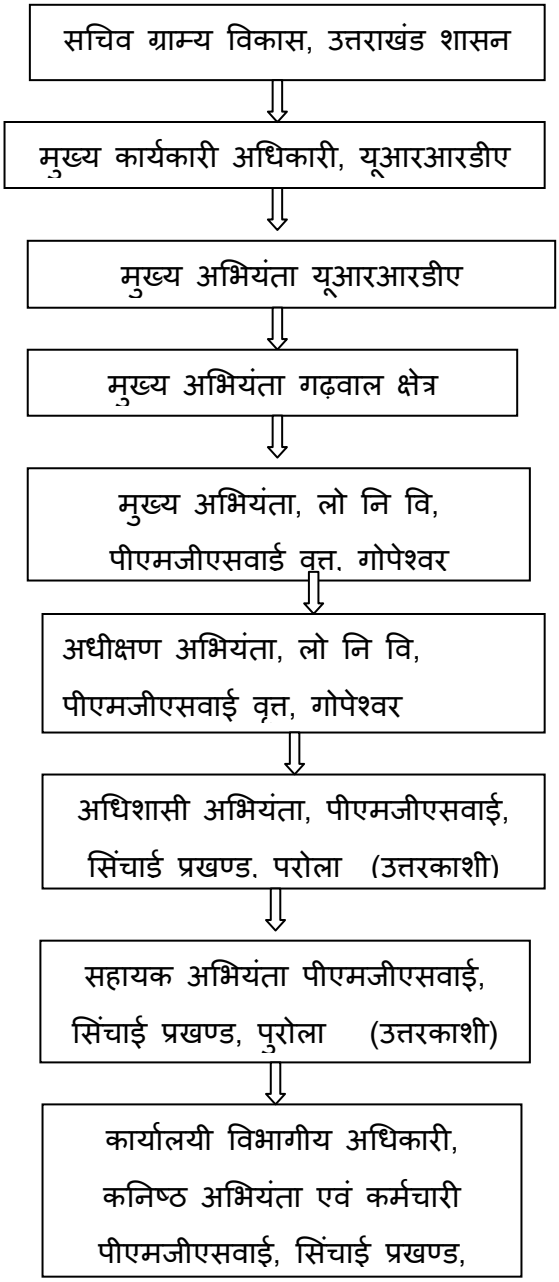

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में लोहाघाट चंपावत के अंतर्गत बारकोट एवं पाटी का कार्यक्षेत्र आता है। लेनदेन की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई (सिंचाई खण्ड) लोहाघाट को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड), लोहाघाट चंपावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित

है। माह 07/2016, 01/2017 एवं 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। अधिशासी अभियंता (पीएमजएसवाई) सिचाई खंड लोहाघाट चंपावत का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

1. **रीठा रमक मोटर रोड स्टेज-1**
2. **कुलियालगांव से साल मोटर मार्ग (स्टेज-II)**
3. **बाराकोट सिमलखेत से पड्सोसेरा मोटर मार्ग (स्टेज-II)**

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- बाराकोट सिमलखेत से पड़सोसेरा मोटर मार्ग (स्टेज-II) में कार्य के क्षेत्र/परिमाण मे परिवर्तन करके रु 61.18 लाख का अधिक भुगतान

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रस्तर 11.5 मे यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कार्य के क्षेत्र अथवा कार्य के परिमाण मे बहुत अधिक अंतर है तो एनआरआरडीए की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

बाराकोट सिमलखेत से पड़सोसेरा मोटर मार्ग (स्टेज-II) कुल लंबाई 14.750 किमी0 फेज-XIII पैकेज सं0 UT-04-04 मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक सं0 J.17024/27/2015-RC (346471) दिनांक 28.06.2016 एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तरालखंड शासन देहरादून के पत्रांक सं0 311/GOI/XI/16/56 (08) 2014 दिनांक 21.07.2016 द्वारा मार्ग के डामरीकरण तथा 5 वर्षो के रखरखाव हेतु 820.30+84.51= रु 904.81 लाख की प्राप्ति हुई थी। जिसकी तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति माह 11/2016 को मुख्य अभियंता महोदय द्वारा प्रदान की गयी थी। तकनीकी स्वीकृति मे आगणन की दरे 01/05/2015 की ली गयी थी।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृति डीपीआर और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति तथा किये गये अनुबंध और भुगतान बाउचर के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृति डीपीआर मे दी गयी विशिष्टियों और एस ओ आर की दरो को ध्यान मे नहीं रखा गया। और कार्य की विशिष्टियों और एस ओ आर दरो को बिना एनआरआरडीए की अनुमति के परिवर्तन कर प्राविधिक स्वीकृति को अनुमोदित कराये जाने और उसी के आधार पर अनुबंध किये जाने के कारण कार्य का अधिक लागत पर अनुबंध होकर कार्य सम्पन्न कराया गया।जो इस प्रकार था, कार्य की विशिष्टियों मे (अ) Construction of hill side pucca kc drain मे प्राविधिक स्वीकृति मे कार्य की मदों को टुकड़ो मे बांटने से लागत बढ़ गयी। (ब) construction of gravel/soil-aggregate (grading -A) base by providing well graded material के स्थान पर stone graded materialin granular sub baseका प्रयोग प्राविधिक स्वीकृति और अनुबंध मे किया गया, जिसकी दर अधिक थी । (स) Primer coat low porosity with bitumin emulsion (ss-1) on prepared surface of granular base के दर को न लेकर Primer coat medium porosity with bitumin emulsion (ss-1) on prepared surface of granular base की दर को लिया गया और अधिक भुगतान किया गया।

पूर्ण विवरण निम्नवत् है -:

Item of work	**As per DPR**			**As per T. S.**		**As per Bond**		**As per payment voucher**		**Amount**	**Extra expenditure in respectof DPR/TS**
	Qty.	**Rate**	**Amount**	**Qty.**	**2015 SOR Rate**	**Qty.**	**Bidrate**	**Qty.**	**Rate**		
Construction of hill side pucca kc drain Excavation PCC 15 RR 1:5 in cement mortar Plaster work in 1:4 cement mortar	8850 RM	664.90	58.84 lakh								85.79-58.84=26.95 lakh
				1763.00 Cum	263.10	990.90 cum	150.00	1698.50 cum	263.10	4.46 lakh	
				246.00 cum	5330.90	524.40 cum	5552.24	237.00 cum	5552.24	13.15 lakh	
				2091 cum	3429.80	1442.100 cum	3100.00	2014.50 cum	3100.00	62.44 lakh	
				4510 cum	176.40	9614.00 cum	176.40	4345.00 cum	176.40	7.66 lakh	
Total Rs(-) advance payment=Gross amount										87.71 lakh - 1.92 lakh = 85.79 lakh	
construction of gravel/soil-aggregate (grading –A) base by providing well graded material	(4389) 3929.25	1585.10 (एस ओ आर के अनुसार)	62.28 lakh	4223.14 cum	2418.90	5103.50 cum	2418.90	3929.25	2300	90.37 lakh	90.37-62.28=28.09 lakh
Primer coat low porosity with bitumin emulsion (ss-1) on prepared surface of granular base				(54000 sqm) 48007.12	31.50 (48007.12*31.50= 15.12 लाख)	54000 sqm	44.30	48007.12	44.30	21.26 lakh	21.26 (–) 15.12= 6.14 lakh
							Total excess expenditure Rs.				61.18 lakh

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि कार्य कि आवश्यकता को ध्यान मे रखकर विशिष्टियों मे परिवर्तन किया गया। इसके लिये भारत सरकार से स्वीकृति नहीं ली गयी थी। भविष्य मे ध्यान रखा जायेगा ।
इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इकाई द्वारा sue-motto पदयति से कार्य कि विशिष्टियों मे परिवर्तन कर रु 61.18 लाख के अधिक व्यय का भुगतान किया गया जिससे बचा जा सकता था।
अतः कार्य की विशिष्टियों मे परिवर्तन कर रु 61.18 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- कुलियालगांव से साल मोटर मार्ग (स्टेज-II) मे रु 17.11 लाख का अधिक भुगतान

वित्तीय हस्तपुस्तिका नियम 318 मे यह स्पष्ट किया गया है कि विस्तृत आंगणन तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति के लिये प्रेषित किया जाना चाहिये । यह स्वीकृति तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति के रूप मे होगी । इसकी गणना पूर्णतया वास्तविक और सही आकड़ों पर आधारित होगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज XIII मे चंपावत के पाटी ब्लाक के अंतर्गत कुलियालगांव से साल मोटर मार्ग (स्टेज-II) कुल लंबाई 14.900 किमी0मोटर मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा माह 02/2016 मे एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा जुलाई 2016 मे रु 672.94 लाख (निर्माण) एवं रु 70.89 लाख (अनुरक्षण) की प्रदान की गयी थी। जिसके आधार पर मुख्य अभियंता महोदय द्वारा माह 11/2016 मे इस शर्तो/प्रतिबंधों के साथ प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व व निर्माण कार्य के दौरान संलग्न प्राविधिक टिप्पणी मे दिये गये प्रतिबंधों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

प्राविधिक स्वीकृति मे दिये गये निर्देश और किये गये अनुबंध के अवलोकन से प्रकाश मे आया कि अनुबंध करते समय प्राविधिक स्वीकृति मे दिये गये निर्देश, दर और मात्रा का ध्यान नहीं रखा गया। जिसके कारण ठेकेदार को रु 17.11 लाख का अधिक भुगतान करना पड़ा।

दरो मे विसंगति की स्थिति निम्न प्रकार थी:-

कार्य का विवरण	**प्राविधिक स्वीकृति/एस0ओ0आर0 मे दी गयी दर**	**अनुबंध मे दी गयी दर**	**दरो मे अंतर**	**12 वे रनिंग बिल तक कार्यान्वित की गयी मात्रा**	**आधिक्य भुगतान**
पीसीसी ग्रेड एम 15	5384.10 /CUM	5500.00/CUM	115.90/ CUM	16.90 CUM	1959/-
आरसीसी ग्रेड M 25	7097.30/CUM	7300.00/CUM	203.00/CUM	171.76 CUM	34867/-
सीसी एज स्टोन	122.00/न0	137.20/न0	15.20/न0	500.00न0	7600/-
प्रोवाईडिंग एंड अपलाइंग प्राइमर कोट	31.60/SQM	44.20/SQM	12.60/SQM	44457.78 SQM	5,60,168/-
प्रोवाईडिंग एंड अपलाइंग टैक कोट	11.70/SQM	12.60/SQM	0.90/SQM	44457.78 SQM	40,012/-
प्रोविडिंग एंड अपलाइंग ऑफ प्रेमिक्स कार्पेट ऑफ 20 MM	134.60/SQM	158.00/SQM	24.00/SQM	44457.78	10,66,987/-
			आधिक्य व्यय रु		**17,11,593/-**

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि अनुबंध प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व हो गया था इसलिये कार्य की मद मे भिन्नता आयी । भविष्य मे ऐसी पुनरावृति से बचा जायेगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अनुबंध करते समय प्राविधिक स्वीकृति मे दी गयी दरो और मात्राओ का ध्यान नहीं रखा गया। अतः रु 17.11 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- रु 43.02 लाख का प्रतिकर का भुगतान न किया जाना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली नापभूमि का बहिनामा, रजिस्टरी किया जाता है तथा काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान किया जाता है। प्रतिकर की दर उत्तरप्रदेश स्टाम्प (संपत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (उत्तराखंड मे लागू) मे निहित प्रावधानों के अनुसार सर्कल रेट की दर से होगी।

इकाई के स्वीकृत मार्गो के प्रतिकर से संबन्धित अभिलेखो / प्रस्तावो की नमूना जांच मे पाया गया कि इकाई द्वारा 04 मोटर मार्गो जिनका स्टेज 1 का कार्य वर्ष 2006 से 2012 तक ही पूर्ण हुआ था तथा स्टेज 2 का कार्य भी लगभग पूर्ण हुआ था, के निर्माण हेतु संरेखण मे आने वाली नापभूमि के लिए प्रतिकर के भुगतान के लिए रु 77.58 लाख की धनराशि इकाई को वर्ष 2014 एवं 2015 मे आवंटित की गयी थी जिसके सापेक्ष रु 34.56 लाख का भुगतान वर्ष 2014-15 मे किया गया था तथा शेष धनराशि रु 43.02 लाख इकाई के पास पड़ी थी जिसे माह 04/2017 अर्थात दो वर्ष बाद वापस किया गया। (विवरण संलग्न)

आगे जांच मे यह भी पाया गया कि स्टेज 01 के 07 कार्य कई वर्षो से पूर्ण हो चुके थे, के निर्माण के लिए संरेखण मे आने वाली नापभूमि के लिए प्रतिकर का प्रस्ताव लेखापरीक्षा तिथि तक इकाई मे लंबित था ।इन मोटर मार्गो मे 05 मोटर मार्ग का स्टेज 2 का कार्य भी पूरा हो चुका था।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि अमीन न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका ।

इकाई का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्योकि रु 77.78 लाख का आवंटन इकाई के अमीन द्वारा बनाये गये प्रस्ताव पर ही आबंटित हुआ था। अतः आबंटित धनराशि का वितरण बनाये गये प्रस्ताव के आधार पर किया जाना चाहिये था। जो इकाई द्वारा नहीं किया गया।

अतः आबंटित धनराशि रु 43.02 लाख का प्रतिकर का भुगतान न किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग दो(ब) -

प्रस्तर-4- शासन के दिशानिर्देश का उल्लंघन कर रु 21.78 लाख का कार्य कार्यादेश के माधयम से कराये जाना।

As par Guideline of central public work department Manual 2003, para 14.4.4 the AEEs /AEs shall normally award work without call of tenders up to their individual power only against the estimates technically sanctioned by them. However, in exceptional cases involving greater urgency or emergency they can also award works without call of tenders against the estimates technically sanctioned by higher authorities provided approval in principal is obtained from the Ex,Engineer and amount of work orders issued against the concerned estimate does not exceed the power of the AE/AEE to award work without call of tender. Reasonableness of rate in such shall however be the responsibilities of the AE/AEE on**ly.**

कार्यालय अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सिचाई खंड लोहाघाट की कार्यदेश पंजिका (work order book) की नमूना जांच करने पर यह देखा गया की सहायक अभियंताओ द्वारा preparation of DPR, Annual Repair and const. surveyor पर रु 21.78/- लाख व्यय किया गया था। जब की सरकारी गजट/ दिशानिर्देश के अनुसार सहायक अभियंता को आकस्मिक प्रकार के कार्य को बिना टेंडर के लेकिन आगणन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के मंजूरी के बाद कार्यादेश के माधयम से किया जाना चाहिये था। उक्त कार्य जो कराये गए वह स्थायी प्रकृति के थे। कार्यादेश के कार्यो का विवरण निम्नवत है-

	Name of Work (Road name)	No of work	Amount
1.	Annual Repair	05	880676..
2.	Prepration of DPR	11	1006746.
3	Survyor	05	290916
	Total=		**2178338.**

लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया की उक्त मद का कार्य उच्च अधिकारियों के निर्देशों के कारण कार्यदेश के माधयम से कराये गया है चूकि कार्य कराये जाने का मौखिक निर्देश थे। अतः कार्य को यथाशीध कराये जाने के कारण कार्यदेश के माधयम से कराये गए।

उत्तर मान्य नहीं है, सरकारी गजट/दिशानिर्देश के अनुसार सहायक अभियंता को आकस्मिक प्रकार के कार्य कार्यदेश के माधयम से कराये जाने की अनुमति है, उक्त कार्य स्थायी प्रकृति के थे। अत: इस प्रकार शासन के दिशानिर्देश के उल्लघन कर रु 21 78.लाख का कार्यादेश के माधयम से कार्य कराये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 5.43 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान।

वेतन अयोग के शासानादेश स.395/xxxii (7) /2008 dated 17.10.2008 के दिशा निर्देश के बिन्दु स 12 (1 एवं 2) के अनुसार कार्मिको कि संशोधित वेतन ढाचे मे पदोन्नति दो प्रकार से हो सकती है 1- एक ही वेतन बैंड मे एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन मे पदोन्नति 2- एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड मे पदोन्नति। दिनांक 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढाचे मे एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन मे पदोन्नति की स्थिति मे वेतन निर्धारण वेतन बैंड मे वेतन मे अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़ कर इसके 03 % की धनराशि गुणक कर के इस धनराशि को वेतन बैंड मे मौजुदा वेतन मे जोड़ दिया जायेगा। इसके बाद वेतन बैंड मे वेतन के अतिरिक्त पदोन्नति पद के समकक्ष ग्रेड वेतन मे वेतन प्रदान किया जायेगा। जंहा पदोन्नति मे वेतन बैंड मे परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति मे इसी प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि प्रोनति के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि ज़ोड़ने के बाद जहा वेतन बैंड मे वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड मे न्यूनतम के बराबर बढा दिया जायेगा ।

इकाई मे कार्यरत श्री विरेन्द सिंह (सा.अभि) की सेवा पुस्तिका की नमूना जाँच करने पर यह देखा गया कि दिनांक 13.2.209 को इनकी वेतन (10870+4200=15070) थी। दिनांक 13.2.209 को ग्रेड वेतन मे संशोधन होने के कारण (10870+4600=15470) वेतन निर्धारण ना कर के ग्रेड पे रु 4600/- का न्यूनतम (12540+4600=17140) वेतन पर निर्धारण किया गया जो कि उपरोक्त शासनादेश के दिशा निर्देश के विपरीत है। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 13/2/2013 से माह 9/2018 तक वेतन एवं भत्तो पर रु 261964/- का अधिक भुगतान किया गया। जिसका विस्तृत विवरण प्रपत्र -1 मे संलग्न है। इसी प्रकार श्री रजूव खनोलिया (सहायक अभियंता) की सेवा पुस्तिका की नमूना जाँच करने पर यह देखा गया कि (10870+4200=15070) थी। दिनांक 13.2.209 को ग्रेड वेतन मे संशोधन होने के कारण (10870+4600=15470) वेतन निर्धारण ना कर के ग्रेड पे रु 4600/- का न्यूनतम (12540+4600=17140) वेतन पर निर्धारण किया गया। जिस के कारण दिनांक 13.2.209 से माह 9/2018 तक वेतन एवं भत्तो पर रु 2,81388. अधिक भुगतान किया जा रहा है, विस्तृत विवरण प्रपत्र -2 संग्लन है।

इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरण मे त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु.5,24,655/- का वेतन एवं भत्तों पर अधिक भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये बताया कि प्रकरण की पुनः जाँच कर उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाकर उनके निर्देशों के अनुसार उचित कार्यवही की जायेगी। इस प्रकार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु 5.24 लाख वेतन एवं भत्तो पर अधिक भुगतान का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतुअधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड) लोहाघाट तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. सतत् अनियमितताएः

   शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	अवधि
1.	ई0 अनूप कुमार	(01.07-2013 से 13-01-2014)
2.	ई0 दिनेश चंद टमटा	(13-01-2014 से 19-08-2014)
3.	ई0 यू0एस0रौतेला	(19.08-2014 से 31.05.2017)
4.	ई0 जी एस बिष्ट	(31.05.2017 से 01.07.2017)
5.	ई0 उमेश चंद पाटनी	(01.07.2017 से 31.08.2018)
6.	ई0 गोपाल सिंह बिष्ट	(31.08.2018 से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिचाई खंड) लोहाघाट चंपावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.